

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1775/2025

देवेन्द्र चौधरी पुत्र माला राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, 165, सुनारों का बास, ग्राम बटाडू, बाडमेर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
3. पंचायत समिति बायतु, जिला बाड़मेर जरिये खंड विकास अधिकारी।

----प्रतिवादीगण

संबद्ध वाद :

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1778/2025, 1792/2025, 1844/2025, 1883/2025, 1887/2025, 1920/2025 एवं 1962/2025

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अंकुर माथुर, सुश्री दिव्या बापना,
श्री मनीष पटेल, श्री मुकेश राजपुरोहित,
सुश्री अदिति शर्मा, श्री तेजा राम चौधरी,
श्री राजेश शाह

प्रतिवादीगण के लिए : श्री महावीर बिश्रोई - एएजी,
श्री हर्षवर्धन सिंह चुण्डावत,
श्री संदीप विश्रोई,
श्री नरेश कुमार

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

28/01/2025

1. कलम के मात्र एक फेर से 1,116 सहायक लेखा अधिकारियों (श्रेणी-I और II) का स्थानांतरण कर दिया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी जैसा कि चित्रित किया गया है, बल्कि कलम का एक संदेहास्पद फेर—प्राधिकार का रंगीन प्रयोग, वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक 08.03.2017 के परिपत्र के उल्लंघन में है। उक्त परिपत्र कोषागार एवं लेखा निदेशालय (याचिकाकर्ताओं का मूल विभाग) पर लागू है, जो वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव के अंतिम पर्यवेक्षण और नियंत्रण में है।
2. इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाए जा रहे उपरोक्त मामलों के समूह के माध्यम से, याचिकाकर्तागण / सहायक लेखा अधिकारी (श्रेणी-I एवं II) निदेशक सह सचिव, कोषागार एवं लेखा विभाग, जयपुर द्वारा पारित, दिनांक 15.01.2025 के अपने-अपने स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दे रहे हैं। मामलों के तथ्य न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि इस न्यायालय को निदेशक-सह-सचिव द्वारा पारित आदेश की सत्यता और वैधता पर निर्णय देना है।
3. चूँकि वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक 08.03.2017 के परिपत्र के खंड (1) का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया है, इसलिए आगे की कार्यवाही से पहले उस पर एक नज़र डालना उचित होगा। इसका अनुवाद इस प्रकार है:-

"कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार (नया पदनाम - सहायक लेखा अधिकारी, श्रेणी-II) और सहायक लेखा अधिकारी (नया पदनाम - सहायक लेखा अधिकारी, श्रेणी-I) का स्थानांतरण सामान्यतः चार वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले नहीं किया जाएगा। हालाँकि, विशेष परिस्थितियों में और राज्य हित में, राज्य सरकार की अनुमति से, चार वर्ष से पहले भी स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।"

4. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त खंड (1) में उल्लिखित लेखा अधिकारियों के लिए दोहरी प्रतिरक्षा की परिकल्पना की गई है, अर्थात्

(क) - कि सामान्यतः उन्हें उनकी तैनाती की चार वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;

(ख) - विशेष या असाधारण परिस्थितियों में, यदि प्रशासनिक आवश्यकता के कारण उन्हें 4 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो, तो वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी होगी।

5. आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट होता है कि उसके अंतिम भाग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थानांतरण आदेश सम दिनांक यानी 15.01.2025 के एक अन्य पत्र द्वारा वित्त विभाग की सहमति लेकर उक्त खंड के आवश्यक अनुपालन को पूरा करने के बाद पारित किए गए हैं। अतः मेरा मत है कि खंड (1) के अंतर्गत अपेक्षित सहमति का अनिवार्य रूप से पूर्व सहमति होना आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि इसे एक उचित अवधि के भीतर पूर्व या पश्चातवर्ती रूप से प्राप्त कर लिया गया हो। वर्तमान मामले में, स्पष्ट रूप से, पूर्व सहमति ली गई है, उस सीमा तक, इसलिए जैसा आरोप लगाया गया है वैसा कोई उल्लंघन नहीं है।

6. पूर्वोक्त के आलोक में, इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि सामान्यतः सहायक लेखा अधिकारियों (श्रेणी-I और II) को चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए। संबंधित कार्यालयों में, जहाँ लेखा अधिकारियों की सेवाएँ प्रतिनियुक्त की जाती हैं, लेखापरीक्षा और लेखा संचालन के विशिष्ट कार्य की प्रकृति और उत्तरदायित्वों की प्रकृति को देखते हुए, उन्हें कुछ स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की अनुमति देने के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन, न तो कोई पूर्ण प्रतिबंध है और न ही कोई वैधानिक छूट है कि प्रशासनिक

आवश्यकता होने पर भी उनका स्थानांतरण न किया जा सके। इसके लिए कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है। उक्त खण्ड (1) में ही यह कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में, यदि लोक/राज्य हित ऐसा चाहता हो, तो उचित स्थानांतरण आदेश पारित करने से पहले वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जा सकती है।

7. अब आक्षेपित आदेशों की ओर एक बार फिर रुख करते हुए, उनके अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि स्थानांतरित अधिकारियों में से किसने अपने चार वर्ष पूरे कर लिए थे, जिसके कारण उनका स्थानांतरण आवश्यक हो गया था। वैकल्पिक रूप से, यह भी स्पष्ट नहीं है कि विशेष परिस्थितियों के कारण किन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाना आवश्यक था। पहली नजर में भारी संख्या यानी 1,116, यह संकेत देती है कि स्थानांतरण आदेश बहुत जल्दबाजी में पारित किए गए हैं। सक्षम अधिकारियों के पास संभवतः उनमें से प्रत्येक के संबंध में विशेष परिस्थितियों का निर्धारण करने का या यहाँ तक कि उनके वर्तमान पदों पर उनके कार्यकाल की अवधि के संबंध में उनके पास कोई अनुभवजन्य आंकड़े उपलब्ध कराने का कोई समय नहीं था।

8. चाहे जो भी हो, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को छाँटने और उस पर निर्णय लेने के सूक्ष्म प्रबंधन में पड़ना इस न्यायालय का काम नहीं है। उपरोक्त परिपत्र का अनुपालन सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ देना ही बेहतर है।

9. प्रासंगिक रूप से, विशेष परिस्थितियों का खुलासा करना सक्षम प्राधिकारी और वित्त विभाग के बीच का मामला है, क्योंकि, वित्त विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों को संज्ञान में लाए जाने के बाद ही उपर्युक्त खंड (1) के संदर्भ में सहमति पर निर्णय लिया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों के खुलासे के अभाव में, सहमति मांगना खंड (1) के अक्षर, भावना

और आशय का उल्लंघन होगा। संपूर्ण विचार लेखा अधिकारियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्हें सरकारी राजकोष से किए गए व्यय के संबंध में अपने वरिष्ठों के लेखा परीक्षक होने के नाते अनिवार्य रूप से एक प्रहरी के रूप में कार्य करना होता है। हालांकि, निदेशालय द्वारा वित्त विभाग को प्रकट किए जाने वाले कारणों को स्थानांतरित अधिकारियों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कानून के अनुसार (सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ें) ऐसा न मांगा जाए। संवेदनशील प्रशासनिक कारणों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे विभाग की दक्षता से समझौता हो सकता है या आंतरिक विचार-विमर्श का खुलासा हो सकता है। प्रशासनिक प्राधिकारी और वित्त विभाग के बीच पारदर्शिता, यह सुनिश्चित करके कानून के शासन को सुदृढ़ करती है कि स्थानांतरण मनमाने ढंग से या बिना औचित्य के न किए जाएं, प्राधिकारी के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए परिपत्र के प्रावधानों का पालन किया जाता है। वित्त विभाग को विशेष परिस्थितियों का खुलासा शक्ति के प्रयोग पर अंकुश लगाने का काम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि स्थानांतरण सद्भावना और जनहित में किए जाएं और कानून का शासन बना रहे।

10. तदनुसार, ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, यह निर्देश दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी सभी 1,116 सहायक लेखा अधिकारियों (श्रेणी-I और II) के संबंध में नए सिरे से निर्णय लेगा और उन्हें दो अलग-अलग सूचियों में विभाजित करेगा, अर्थात् एक वे हैं जिन्होंने अपने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं जो उनके स्थानांतरण को उचित ठहराते हैं; और दूसरी उन लोगों की सूची है जहाँ उपर्युक्त परिपत्र के खंड (1) के अनुसार विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं।

11. तब तक आक्षेपित स्थानांतरण आदेशों का कार्यान्वयन सर्वत्र स्थगित रखा जाएगा।

12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त कार्यवाही के बाद जिन स्थानांतरण आदेशों को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। जिन मामलों में विशेष परिस्थितियों के कारण स्थानांतरण करना आवश्यक हो, ऐसे अधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो नई याचिका दायर करके उनका विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं।

13. इस स्तर पर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 03.01.2024 के प्रशासनिक आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर, नए आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक है। किसी भी प्रक्रियात्मक बाधा को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि इस न्यायालय के आदेश द्वारा स्थानांतरण आदेशों पर रोक लगा दी गई है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के संबंध में नया प्रशासनिक निर्णय पूर्व स्थानांतरण आदेशों के क्रम में माना जाएगा। इस प्रकार, मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 03.01.2024 को जारी परिपत्र के अनुसार किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

14. साथ ही, पूरी सावधानी के साथ, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण इस आदेश के तहत किया गया है और उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं है, उनके स्थानांतरण आदेशों को इस आदेश के तहत जारी परमादेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस लेने या उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, जिन अधिकारियों का स्थानांतरण उस शहर से बाहर नहीं हुआ है जहाँ वे वर्तमान में तैनात हैं, उनके मामले में भी सक्षम प्राधिकारी को कोई भी नया आदेश पारित करने से छूट होगी।

15. अंत में, पुनरावृत्ति की कीमत पर, मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि निस्संदेह, वित्त विभाग का दिनांक 08.03.2017 का प्रशासनिक परिपत्र "विशेष परिस्थितियों" और "राज्य के हित में" चार वर्ष से पहले स्थानांतरण की अनुमति देकर लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन साथ ही इसका

उद्देश्य अधिकारियों को एक निश्चित स्थिरता प्रदान करना भी है। इस प्रकार, प्रशासनिक आवश्यकताओं के प्रबंधन की प्राधिकरण की क्षमता को कम किए बिना, अधिकारियों को मनमानी कार्रवाइयों से बचाने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाकर संतुलन बनाए रखना होगा। इसी संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी को अधिकारियों को दो सूचियों में विभाजित करना चाहिए था - वे जिन्होंने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं और वे जिनका स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाए। मैं इस बात से अवगत हूँ कि प्रशासनिक निर्णयों, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर स्थानांतरणों से संबंधित निर्णयों के लिए, एक निश्चित सीमा तक विवेकाधिकार की आवश्यकता होती है, जिस पर यह न्यायालय पुनर्विचार करने में सक्षम नहीं है। शक्तियों के पृथक्करण और प्रशासनिक निकाय की विशेषज्ञता को उचित मान्यता दी जानी चाहिए। स्थानांतरणों के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देकर इस न्यायालय का प्रयास केवल लेखा अधिकारियों के अधिकारों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच निष्पक्ष और व्यावहारिक संतुलन बनाकर प्रतीत होने वाली मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।

16. इस प्रकार रिट याचिकाओं का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी इस आदेश के वेब-प्रिंट की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त आवश्यक कार्यवाही करें और जहां भी आवश्यक हो, ऊपर दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नए आदेश पारित करें।

17. सभी लंबित आवेदनों को भी निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

22, 24, 34, 68, 91, 93, 113 एवं 128 -ए.के. चौहान/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate